(26)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4196–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–11–16 पारित द्वारा तहसीलदार, गुना प्रकरण कमांक 262/अ–6/2015–16.

1– श्रीमती उमाबाई पत्नी महेन्द्र नारायण
पुत्री नर्वदा शंकर तिवारी
निवासी ग्राम खूजा हाल निवासी बासौदा
तहसील बासौदा जिला विदिशा
2– श्रीमती उर्मिला पत्नी राजेन्द्र प्रसाद भार्गव
पुत्री नर्वदा शंकर तिवारी
निवासी खूजा हाल निवासी पोहरी
तहसील पोहरी जिला शिवपुरी
3– श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी ओमप्रकाश तिवारी
पुत्री नर्वदा शंकर तिवारी
निवासी खूजा हाल निवासी पोहरी
तहसील पोहरी जिला शिवपुरी
4– श्रीमती राधाबाई पत्नी नारायण प्रसाद तिवारी
पुत्री नर्वदा शंकर तिवारी
निवासी खूजा हाल निवासी आरोन
तहसील आरोन जिला गुना .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– हरीराम धाकड़ पुत्र नवल सिंह धाकड़
2– लक्ष्मण सिंह धाकड़ पुत्र नवल सिंह धाकड़
निवासीगण खूजा तहसील व जिला गुना
3– कु0 रूचि पुत्री राजकुमार
4– कु0 मुनमन पुत्री राजकुमार
निवासीगण बजरंग गढ़
तहसील बजरंग गढ़ जिला गुना
5– मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदकगण

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री के0के0 द्विवेदी,,अभिभाषक अनावेदक क. 1 से 4

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21/8/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा ग्राम खूजा तहसील व जिला गुना स्थित भूमि सर्वे कमांक 92/1 मिन–1 रकबा 5.540 हेक्टेयर कय की जाकर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 262/अ–6/2015–16 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर अनावेदक कमांक 1 व 2 का आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 30–11–2016 को आदेश पारित कर आवेदकगण का आपत्ति आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पैतृक भूमि होकर उनमें आवेदकगण का भी हिस्सा है, परन्तु उनके भाई राजकुमार द्वारा प्रश्नाधीन भूमियां अपने नाम कर विकय कर दिया गया है, जिसका उसे अधिकार नहीं था । यह भी कहा गया कि राजकुमार को केवल अपने हिस्से की 1/7 भूमि विकय करने का अधिकार था, परन्तु उसके द्वारा आवेदकगण के स्वत्व, स्वामित्व की भूमि का विकय कर दिया गया है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार को नामांतरण का आवेदन पत्र निरस्त करना चाहिए था, जिसे निरस्त नहीं करने में उनके द्वारा अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर, तहसील न्यायालय में प्रचलित प्रकरण समाप्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 से 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है, इसलिए तहसीलदार प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का नामांतरण करने हेतु बाध्य है । यह भी कहा गया कि जिस समय अनावेदकगण द्वारा भूमि कय की गई है, उस समय प्रश्नाधीन भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी राजकुमार थे, और आवेदकगण का नाम राजस्व

अभिलेखों में प्रश्नाधीन भूमि पर दर्ज नहीं है, इसलिए उन्हें आपत्ति करने का अधिकार नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदक पक्ष पूर्व भूमिस्वामी के वैध उत्तराधिकारी हैं, और उनके द्वारा तहसीलदार के समक्ष पूर्व स्वत्व के आधार पर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण की आपत्ति निरस्त करने में प्रथम दृष्टया उनके वारिसाना हकों की अनदेखी की गई है, जबकि उन्हें आपत्ति करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे आवेदकगण को पक्षकार बनाकर सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का समुचित अवसर देकर प्रकरण का विधिवत निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर